

दिल्ली (कमिश्नरी)
जोधाराम भंड केशाराम वर्मा
T. I. No. 99/14-11-17

पौ. वि. प्र. 13

२-११-१८ फत्ताबली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपर है।
मूल वार ०७ सा। स्वीकार होने से बाद रवायेज
हो चुका है इसलिए T.I. साब फज का जब
कोई मौल्य नहीं रह गया है अतः मूल वार
के परिपक्ष में T.I. साब फज भी रवायेज किया
गया। फत्ताबली फैसल शुमार होकर दर्ज नाम्बर
से कम है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक